विकास बहल, जे. के समक्ष

संजय- अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

2022 का सीआरडब्ल्यूपी नंबर 4859

20 मई 2022

दंड प्रक्रिया संहिता 1973-एस.482 हरियाणा अच्छा-आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 धारा 3(1)(ए)-पैरोल-याचिकाकर्ता, अस्पताल में भर्ती मां की सेवा के लिए 3 महीने की पैरोल मांग रहा है- याचिकाकर्ता की मां गंभीर रूप से बीमार है – याचिकाकर्ता अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है, यह सिद्ध हो गया है-याचिकाकर्ता को पहले आपातकालीन पैरोल पर रिहा किया गया था- पैरोल का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ-पैरोल अस्वीकार करने का एकमात्र कारण यह बताया गया है कि यदि पैरोल पर रिहा किया जाता है तो याचिकाकर्ता फरार हो जाएगा और अन्य अपराध करेगा-संदर्भित सामग्री जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है मुख्य रूप से इस आशंका के आधार पर पैरोल को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता फिर से वही अपराध करेगा-इसलिए पैरोल की मंजूरी दी जाए।

निर्णय दिया गया कि उक्त उत्तर के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हो जायेगा याचिकाकर्ता की मां गंभीर रूप से बीमार हैं, इसकी पुष्टि की जाती है। फिर भी यह तथ्य भी स्थापित है कि याचिकाकर्ता अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है। उक्त हलफनामे के पैराग्राफ 5 में, यह कहा गया है कि पहले भी, याचिकाकर्ता को आपातकालीन पैरोल पर रिहा किया गया था और यह दिखाने के लिए कुछ भी संकेत नहीं दिया गया था कि उसने पैरोल का दुरुपयोग किया था। आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि पैरोल को अस्वीकार करने का एकमात्र कारण यह है कि यदि याचिकाकर्ता को पैरोल पर रिहा किया जाता है, तो वह फरार हो जाएगा और अन्य अपराध करेगा। ऐसी किसी सामग्री का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके आधार पर उक्त निष्कर्ष पर पहुंचा गया हो।

आगे कहा गया कि उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलेगा कि पैरोल को मुख्य रूप से इस आशंका पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता फिर से वही अपराध करेगा।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुभाष कुमार।

मुनीष शर्मा, एएजी, हरियाणा।

विकास बहल, जे. (मौखिक)

(1) यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के साथ धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर एक आपराधिक रिट याचिका है। याचिकाकर्ता को हरियाणा अच्छे आचरण वाले कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 की धारा 3(1)(ए) के तहत 3 महीने के लिए पैरोल की रियायत देने के लिए है ताकि वह अपनी मां की सेवा कर सके, जिन्हें 17.05.2022 को आपातकालीन स्थिति में भर्ती कराया गया था। कौशल्या स्पाइन एंड पेन हॉस्पिटल, रोहतक में।

(2) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और आईपीसी की धारा 148, 149, 186, 224, 225, 302, 307, 332, 353 392 और 427, के तहत एफआईआर संख्या 68 दिनांक 27.07.2004 पुलिस स्टेशन कलानौर, जिला रोहतक में पंजीकृत है में दोषी ठहराया गया था। दिनांक 21.10.2005 के फैसले और सजा की मात्रा के तहत दोषी ठहराया गया और लगभग पिछले 15 वर्षों से जेल में बंद है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता की मां चक्कर और गर्भाशय ग्रीवा के साथ सीवीए से पीड़ित है और अस्पताल में भर्ती है और उसे तत्काल देखभाल की आवश्यकता है और याचिकाकर्ता अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है और उसकी बूढ़ी मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इससे पहले भी याचिकाकर्ता को आपातकालीन पैरोल पर रिहा किया गया था, जिसे दिनांक 23.03.2022 के आदेश द्वारा आगे बढ़ाया गया था और उसने उक्त आपातकालीन पैरोल के सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन किया था। यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 06.05.2022 के आदेश के तहत, याचिकाकर्ता की पैरोल को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि वह पैरोल से भाग सकता है और वह अन्य अपराध कर सकता है और यह प्रस्तुत किया गया है कि यह अनुमानों और अनुमानों पर आधारित है। अधिकारियों के समक्ष उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई सामग्री मौजूद नहीं है। अमृतपाल सिंह उर्फ अंबा बनाम पंजाब राज्य मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा गया है कि मुख्य रूप से आशंका के आधार पर पैरोल को खारिज नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, 19.05.2022 को, विद्वान राज्य वकील को याचिका में दिए गए कथनों को सत्यापित करने और याचिकाकर्ता की मां की चिकित्सा स्वास्थ्य स्थिति की जांच करने का निर्देश दिया गया था। उसी के अनुसरण में, विद्वान राज्य वकील ने उप अधीक्षक, केंद्रीय जेल, अंबाला के हलफनामे के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया है और उसमें दिए गए कथनों का उल्लेख किया है।

(3) इस न्यायालय ने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और पेपरबुक का अवलोकन किया है।

(4) उपाधीक्षक, केंद्रीय जेल, अंबाला द्वारा प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र के पैराग्राफ 3 से 5 को यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> "3. याचिकाकर्ता की मां पीएलवीडी सर्वाइकल और रोगसूचक कार्डियोलॉजी के कारण पीड़ित हैं, और कौशल्या स्पाइन एंड पेन हॉस्पिटल, रोहतक में भर्ती हैं डॉ. संदीप दुहान एमबीबीएस, डीए, एफआईपीएम, सीआईपीएम सलाहकार दर्द चिकित्सक की रिपोर्ट के अनुसार 17.05.2022 को आगे के प्रबंधन के लिए अनुबंध आर-1 के रूप में संलग्न किया गया है।
>
> 4. यह कि याचिकाकर्ता अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है, जिसमें वृद्ध माता-पिता हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वह 15 वर्षों से अधिक समय से सेंट्रल जेल अंबाला में बंद है (अनुलग्नक आर-1)।
>
> 5. याचिकाकर्ता को उसकी मां की देखभाल के सिलसिले में दिनांक 09.03.2022 को आपातकालीन पैरोल पर रिहा किया गया था और उसे दिनांक 24.03.2022 को वापस रिपोर्ट करना था, लेकिन माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा उसकी आपातकालीन पैरोल 19.04.2022 तक बढ़ा दी गई थी।

(5) उक्त उत्तर के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता की माँ गंभीर रूप से बीमार है, इसकी पुष्टि होती है। यहां तक कि यह तथ्य भी स्थापित है कि याचिकाकर्ता अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है। उक्त हलफनामे के पैराग्राफ 5 में कहा गया है कि पहले भी

याचिकाकर्ता को आपातकालीन पैरोल पर रिहा किया गया था और यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि उसने पैरोल का दुरुपयोग किया था। आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि पैरोल को अस्वीकार करने का एकमात्र कारण यह है कि यदि याचिकाकर्ता को पैरोल पर रिहा किया जाता है, तो वह फरार हो जाएगा और अन्य अपराध करेगा। ऐसी किसी सामग्री का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके आधार पर उक्त निष्कर्ष पर पहुंचा गया हो। अमृतपाल सिंह @ अम्बा (सुप्रा) के फैसले में समन्वय पीठ ने निम्नानुसार कहा है: -

> "इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता दिनांक 29.11.2019 (अनुलग्नक पी -1) के आदेश को रद्द करने की मांग कर रहा है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा पैरोल देने के लिए किए गए आवेदन को तरनतारन के उपायुक्त ने खारिज कर दिया है। आदेश दिनांक 29.11.2019 (अनुलग्नक पी-1) के अनुसार, याचिकाकर्ता का मामला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजा गया था और पत्र दिनांक 20.11.2019 द्वारा प्राप्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता पैरोल पर बाहर आने के बाद फिर से हेरोइन बेच सकता है और फरार हो सकता है, यह ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता से बरामदगी व्यावसायिक मात्रा में थी। इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता के पैरोल के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है.

प्रस्ताव के नोटिस के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से उपाधीक्षक, सेंट्रल जेल, फिरोजपुर का संक्षिप्त उत्तर दाखिल किया गया है। राज्य के विद्वान वकील ने संक्षिप्त उत्तर का हवाला देते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता पैरोल पर बाहर आने के बाद फिर से हेरोइन बेचने में लिप्त हो सकता है और फरार हो सकता है। उन्होंने पैरा 4 का हवाला दिया है जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज 5 एफआईआर का विवरण दिया गया है।

राज्य के विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, पैरोल देने के उसके मामले को उपायुक्त ने दिनांक 29.11.2019 (अनुलग्नक पी-1) के आदेश के तहत सही ढंग से खारिज कर दिया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय द्वारा CRWP-2156-2019 में जीत सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य ने शीर्षक से पारित एक आदेश का उल्लेख किया है। 07.01.2020 को निर्णय लिया, जिसके तहत इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने याचिका को यह कहते हुए अनुमति दे दी कि एफआईआर की लंबितता को याचिकाकर्ता की पैरोल पर रिहाई से इनकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

वर्तमान मामले में, दिनांक 08.08.2020 के हिरासत प्रमाण पत्र के अनुसार याचिकाकर्ता 10 वर्षों में से 3 वर्ष और 22 दिन हिरासत में बिता चुका है और उसने इन पिछले 3 वर्षों के दौरान एक बार भी पैरोल का लाभ नहीं उठाया है। केवल इस आशंका के आधार पर कि याचिकाकर्ता फिर से हेरोइन बेचने में शामिल होगा और यहां तक कि एफआईआर दर्ज करने को भी उसे 3 साल बाद अपने परिवार से मिलने के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

इसलिए, याचिका स्वीकार की जाती है और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को उसके परिवार से मिलने के लिए छह सप्ताह की पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।''

(6) उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलेगा कि पैरोल को मुख्य रूप से इस आशंका पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता फिर से वही अपराध करेगा।

(7) उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त निर्णय में निर्धारित कानून, दिनांक 06.05.2022 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है और याचिकाकर्ता को संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार भारी जमानत के अधीन 3 सप्ताह की अवधि के लिए पैरोल पर रिहा किया जाता है।

(8) याचिकाकर्ता को 14.06.2022 को शाम 04:00 बजे सेंट्रल जेल, अंबाला के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

ऋतंभरा ऋषि

अस्वीकरणः— स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक व अधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अग्रेंजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

शालिनी वर्मा, अनुवादक, सोनीपत।